न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी पर्वतसिंह चूण्डावत
राजस्व प्रार्थना पत्र 113/2018

1. श्री धन्नालाल पुत्र स्व0 श्री तेजमल जाति ब्राहमण ग्राम जयसिहपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीवण पुत्र स्व0श्री रामा जी
2. श्रीमति जमकू पत्नि श्री रामा जी जाति गुर्जर निवासी जयसिहपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
3. श्री पारस कुमार पुत्र श्री मोहनलाल
4. श्री प्रवीण कुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी जयसिहपुरा हाल निवास पीपली चौराया सैन्टल बैक के पास बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर

.......अप्रार्थीगण

6. श्रीरामेश्वर पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
7. श्री घनश्याम पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
8. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी जाति ब्राहमण निवासी जयसिहपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
9. श्री सावर लाल पुत्र स्व0 श्री नन्दराम जी
10. श्रीमति भगवती देवी पन्नि स्व0 श्री नन्दराम जी
11. श्रीगोगराज पुत्र स्व0 श्री नन्दराम जी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम काढा पौस्ट बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

.... तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111व128 रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जयसिहपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 06–13–00. 204 रकबा 02–10–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जयसिहपुरा पटवार मंडल लोडियाना की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 217 में खसरा नम्बर 203 रकबा 06–13–00 व खाता संख्या 80 मे खसरा नम्बर 204 रकबा 02–10–00 बिस्वा प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम जयसिहपुरा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 06–13–00 व 204 रकबा 02–10–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:29:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: